

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांक-21/6/2017

संख्या-01/श्रम वि०ई० 8-80-12/2015 श्र०सं०.....24...../डॉ० रामचन्द्र सिंह, प्रभारी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय, समस्तीपुर की सेवा स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना से प्रतिनियुक्ति के आधार पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में प्राप्त हुई थी। उच्च शिक्षा हेतु उनके अभ्यावेदन के आलोक में इनकी सेवा तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वापस की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

*(कामेश्वर प्रसाद)*  
सरकार के उप सचिव।

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापक-श्रम वि०ई०-8-80-12/2015 श्र०सं० .....24...../ पटना, दिनांक-21/6/2017

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवाएँ, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी विभागीय पदाधिकारी/सम्बन्धित पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(कामेश्वर प्रसाद)*  
सरकार के उप सचिव।

सरकार के उप सचिव।